

निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय

(नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कागजात की विवरणी)

जिला का नाम –

प्रखंड का नाम –

आवेदक का नाम –

पद का नाम –

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 39(च) के आलोक में नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए गए कागजातों की स्थिति निम्नवत है –

क्रमांक	कागजात की विवरणी	संलग्न की स्थिति (हाँ/नहीं)
1	2	3
1.	अनुसूची-I में मतदाता सूची में अभ्यर्थी एवं प्रतावक के नाम दर्ज होने की घोषणा (शपथ-पत्र के रूप में)	
2.	अनुसूची-II में सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित रहने संबंधी घोषणा (शपथ पत्र के रूप में)	
3.	अनुसूची- III,,III (क) एवं III (ख) में अभ्यर्थी के बारे में सूचनाएँ (शपथ पत्र के रूप में)	
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पद तथा नाम निर्देशन शुल्क संबंधी लाभ प्राप्त करने को इच्छुक अभ्यर्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग सदस्य होने का जाति प्रमाण-पत्र, मूल में, जो जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो;	
5.	सरकारी कोषागार में जमा किया गया नाम निर्देशन शुल्क चालान या नाजीर रसीद	

उपर्युक्त नाम निर्देशन पत्र के साथ उपर्युक्त कागजात नहीं होने के कारण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम के तहत नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

नाम निर्देशन दाखिल करने
वाले का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

नोट :- उक्त विवरण दो प्रति कार्बन कॉपी में तैयार किया जायेगा, जिसकी मूल प्रति नाम निर्देश करने वाले को दिया जायेगा तथा दूसरी प्रति निर्वाची पदाधिकारी के पास संधारित रखा जायेगा।

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरुद्ध आपत्ति की पावती
(कार्यालय की प्रति)

1. जिला –
2. प्रखंड का नाम – ग्राम पंचायत का नाम –
3. आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता –
4. प्रत्याशी का नाम एवं पता (जिनके विरुद्ध आपत्ति की गई है)
5. पद का नाम (जिसके लिए नामांकन किया गया है) –
6. आपत्ति की तिथि –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)
7. आपत्ति का समय –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरुद्ध आपत्ति की पावती
(आपत्तिकर्ता की प्रति)

1. जिला –
2. प्रखंड का नाम – ग्राम पंचायत का नाम –
3. आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता –
4. प्रत्याशी का नाम एवं पता (जिनके विरुद्ध आपत्ति की गई है)
5. पद का नाम (जिसके लिए नामांकन किया गया है) –
6. आपत्ति की तिथि –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)
7. आपत्ति का समय –
(अनिवार्य रूप से अंकित की जाय)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)
E:\pm5\P_Bye_E_25.pmd\40

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर

पंचायत निर्वाचन
नामांकन पत्र के विरुद्ध आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस

मैं, , निर्वाची पदाधिकारी-सह-.....,
इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि पर आपके नामांकन के विरुद्ध^{स्वतःसंज्ञान/} से परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण
निम्नवत् है :-

1. आपत्तिकर्ता का नाम एवं पता -

2. आपत्ति का संक्षिप्त विवरण -

आपत्ति पर सुनवाई की दिनांक पूर्वाह्न/अपराह्न बजे अधोहस्ताक्षरी के
कार्यालय कक्ष में निर्धारित है, जिसमें स्वयं आपका अथवा प्राधिकार पत्र के साथ आपके प्रस्तावक को उपस्थित
होकर आपका पक्ष रखना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने की स्थित में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय
लिया जा सकता है।

ध्यातव्य रहे कि निर्वाचन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है तथा वैधानिक प्रावधानों के अधीन समयसीमा से बंधा
है, इसलिए किसी प्रकार का समय विस्तार देय नहीं है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : प्राप्त करने से इन्कार करने पर अभ्यर्थी के लिखित पते पर नोटिस चिपकाएँ एवं Geotag फोटो तथा दो
गवाह का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए।

ज्ञापांक -

दिनांक -

प्रतिलिपि को
(आपत्तिकर्ता/परिवादी का नाम एवं पता)
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त वर्णित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपने दावे के
समर्थन में निर्विवाद/ठोस साक्ष्य दिया जाए।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर